क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

3-7-17

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
पी0ए0 नवीरकरण वाद सं0– 03/2017–18
आवेदक– पेंका मरांडी
बनाम
16 आना रैयत, मौजा–हाथीबांध
आदेश

आवेदक द्वारा दाखिल पत्र के अवलोकन करने के पश्चात जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, उधवा से किया गया। अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने पत्र सं0–142/रा0, दिनांक 08.04.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया है। अवलोकन किया। तत्पश्चात अभिलेख दिनांक 03.05.2017 को संधारित कर मौजा हाथीबांध के 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत कर आपत्ति की मांग की गयी। निर्धारित तिथि तक आपत्ति अप्राप्त है।

आवेदक को सुना। आवेदक का कहना है कि वे विधिवत नियुक्त प्रधान है। उनकी नियुक्त तत्कालिन अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद सं0–23/2006–07 के द्वारा प्रधानी पद पर किय गया है। विगत 15 वर्षों से कुशलता पूर्वक प्रधानी कार्य किये है तथा समय पर राजस्व की वसूली कर सरकार को लगान प्रदान करते आ रहें है। अतएव प्रधानी पट्टा का नवीकरण की प्रार्थना किया गया है।

अंचल अधिकारी, उधवा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से आवेदक के दावे की पुष्टि होती है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अंचल अधिकारी, उधवा के जाँच प्रतिवेदन तथा 16 आना रैयतों के आपत्ति के आभाव में मौजा हाथीबांध, अंचल, उधवा के प्रधान पेंका मरांडी पिता स्व0 सरकार मरांडी सा0 हाथीबांध को पूर्व निर्गत प्रधानी पट्टा का नवीकरण दिनांक 03.07.2017 से दिनांक 02.07.2032 तक के लिए किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, उधवा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

जापांक 342 (?) 18/7/17